महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:स्था./एच.ओ./डीपीसी/मु.प्र./2019-20/ 56797-897 दिनांक:-07.12.2021

परिपत्र

विषयः-नियुक्ति वर्ष निर्धारण के संबंध में

सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की नियुक्ति वर्ष निर्धारण के संबंध में संशय उत्पन्न होता है कि नियुक्ति वर्ष, नियुक्ति आदेश की दिनांक के आधार पर निर्धारित किया जावे अथवा नियुक्ति पर उपस्थिति देने की दिनांक से। इस संबंध में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(07)गृह-1/2020 दिनांक 31.12.2020 के द्वारा पुलिस विभाग के प्रकरण में स्पष्ट किया गया है कि सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों का नियुक्ति वर्ष, उनके नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने की तिथि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(5)गृह-1/2002 दिनांक 05.02.2002 को भी दृष्टिगत रखा जावें जिसके अनुसार एक ही नियुक्ति आदेश से नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों का नियुक्ति वर्ष उस आदेश के क्रम में नियुक्त किसी भी कार्मिक के सर्वप्रथम नियुक्ति पर उपस्थिति देने की दिनांक से निर्धारित होगा।

अतः नियुक्ति वर्ष निर्धारण के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उक्त परिपत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

8/12/2021

(यू.एल.छानवाल)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपमहानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर, जोधपुर, उदयपुर।
2. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
3. अधीक्षक/प्रभारी, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर।
4. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
5. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर।
6. अधीक्षक विशिष्ठ केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास दौसा।
7. समस्त प्रभारी महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
8. रक्षक पत्रावली।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर